[Shri Nirmal Chatterjee]

Emporium and at the handloom shops where they separately calculate this rebate, which is time-consuming. Instead of that, since the States and the Central Government would be sharing it on fifty-fifty basis, it can, therefore, be calculated and total rebate can be given. **Will** the Minister kindly instruct the shops or the relevant authorities so that the procedure is simplified? This will increase the sale also.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: The rebate is not available for powerloom. It is only for the handloom products.

About calculations, the hon. Member's suggestion is well-taken and we shall try to see that the procedure is simplified.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Now we take up the earlier Bill. Shri Vaghela.

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES BILL, 1985—Contd.

श्री शंकर सिंह वघेला (गुजरात) : मैडम डिप्टी चेयरमैन महोदया, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ विधेयक बहुत समय पहले यहां लाना चाहिए था क्योंकि देश की जो युवा पीढ़ी है वह आज मादक द्रव्यों में इतनी फंसी हुयी है कि इनको कैसे बचाया जाए इस की चिंता सिर्फ यह विधेयक करेगा ऐसा नहीं है। पूरी सरकार को, समाज को, इसकी चिंता करके रास्ता निकालना चाहिए। अगर राष्ट्र को मारना है तो यह कोई जरूरी नहीं हैं कि बार्डर पर उसको मारा जाए। जैसे पहले राजा-महाराजाओं को अफीमी गुलामबन्दी बना कर जिस तरह से अंग्रजों ने राज किया, आज फिर से अफीम, चरस और गांजा का प्रयोग पूरे देश में इतने खराब ढंग से आजकल चल रहा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइये, देश के जितने राज्य हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 50 फीसदी स्टूडेंट्स आपको इस द्रव्य के आदी मिलगे। अगर कानून बनने से उसमें कुछ कर सकता है तो अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूं सिर्फ कानून इसमें पूरा नहीं है। स्टूडेंट्स को इस अफीम या चरस या और भी मादक द्रव्य लेने के लिये इच्छा क्यों हुई, यह जानने की बात है। आज की हमारी युवा पीढ़ी दिशाविहीन है। उसको इस बात का डर है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी मिलेगी या नहीं। बेकारी का डर उसके सामने है। इसका भय उसके सामने है। इस हिसाब से पूरी युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट है। उसको सही दिशा देने के लिए अक्षम्य है, ऐसा है आज का आपका समाज। युवा पीढ़ी को दोष दिया जाता है। युवा वर्ग को क्यों दोष दिया जाता है? युवा वर्ग जिसको समाज में सही ढंग से दिशा प्राप्त होनी चाहिए वह सिर्फ कानून से पूरी होगी इस बारे में मेरे मन में शंकाएं हैं। क्योंकि कई साल से, कई प्रकार के कानून अमल में हैं। फिर भी आज इसके अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर जो चोरी और कालाबाजारी घटनी चाहिए थी वह बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि कानून कितने भी आप बना लें लेकिन जो चोरी करने वाले हैं, कालाबाजारी करने वाले हैं नेशनल और इन्टरनेशनल लेवल पर जो लोग हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं उनसे मिल जाते हैं, और इससे उनको बल मिलता है। जहां पर अफीम पैदा होती हैं वहां पर पोस्टिंग करने के लिए दो लाख, चार लाख और यहां तक की पांच लाख रुपये ट्रांसफर के लिए दिये जाते हैं। इसी तरह से जहां पर शराब बंदी है वहां पर भी शराब बनती है और पुलिस इंस्पैक्टर अपनी पोस्टिंग के लिए डेढ़, दो लाख रुपये दे देते हैं। हमारे देश में करप्शन इस हद तक बढ़ गया है कि इस प्रकार के एरियाज के लिए पोस्टिंग करने के लिए एक दो लाख रुपये दे देना बहुत मामली

बात है। जब तक आप सही तरीके से इस बुराई को समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। जिस इलाके में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी वहां पर शराब बिकती है तो आप अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिये। जिस एरिया में इस प्रकार की चोरी होती है, जहां पर शराब बेची जाती है वह बिना अधिकारियों की मिल भगत से नहीं हो सकता है। अफीम पैदा करने वाले किसानों के लिए तो आप प्रावधान करते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रकार के अपराध करते हैं उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश आदि जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है वहां पर इसके भाव बहुत कम होते हैं, लेकिन बार्डर पर भाव बहुत अधिक होते हैं। इन भावों में जमीन-आसमान का अन्तर होता है। किसानों के लिए तो आप प्रावधान करते हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों की स्मगलिंग करते हैं उनको बहुत कम सजा दी जाती है। अभी हालत यह है कि नेपाल के बार्डर से चलकर अफीम बम्बई पहुंच जाती है। यह सब काम अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। जब तक आप इन चीजों की जिम्मेवारी अधिकारियों पर नहीं डालेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून को तोड़ते हैं। अभी हालत यह होती है कि जिलों में जो कमिश्नर और दूसरे पुलिस के इंस्पेक्टर आदि होते हैं वही कानून को तोड़ने वाले से मिले होते हैं। समाज में जो लोग इस प्रकार के अपराध करते हैं, जो समाज को खराब करते हैं, लोगों में नशीली चीजें बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है उनके लिए आप कानून तो बनाते हैं, लेकिन देखने में यह आता है उन कानूनों का ठीक प्रकार से पालन नहीं होता है। कई बार कानून में लूपहोल्स भी होते हैं जिनके कारण स्मगलिंग करने वाले बच जाते हैं। अफीम का जो लोग व्यापार करते हैं वे करोड़ों रुपया कमाते हैं और जब पकड़े भी जाते हैं तो कानून में कमियां होने के कारण छूट जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको इन लूपहोल्स को खत्म करना चाहिए। हम रोजमर्रा समाज को कई दिशा देने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में इस प्रकार की चीजें बेची जाती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नशीली वस्तुओं के संबंध में हम जो भी कानून बनाएं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई कमी रहेगी तो फिर ये लोग छूट जाएंगे और समाज में इस प्रकार की चीजों को बेचते रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारा देश गांवों में बसता है। शहरों में भी ऐसे लोगों की आबादी अच्छी है। आज कई राज्यों में शराब बंदी होने के बाद भी खुले आम चुनाव के टाइम पर शराब पिलाई जाती है और अफीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सी जगह हिन्दुस्तान में ऐसी है जहां बिना अफीम पिये हुये लोग आज हैं। हमारा 60 करोड़ आबादी का देश है और आप देश के किसी भी कोने में चले जाइये, गांव में बैठे हुए लोगों को 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम अफीम पिलाने वाले लोग कौन हैं? ये लोग वोट लेने वाले लोग हैं। हमारे एक कांग्रेस के दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों पिलाते हो। उन्होंने कहा कि अगर वे मतदान में पिये हुए नहीं होंगे तो वे हमको वोट नहीं करेंगे, इसलिये हम उनको पिलाते हैं ताकि वे वहां

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

जाकर जहां उनसे ठप्पा लगवाना है वहां वह ठप्पा लगा सकें। जो लोग यहां इसकी चर्चा करते हैं, चुनाव के टाइम पर वही लोग अपने अपने इलाकों में वोट लेने के लिये खुले आम अफीम, चरस, शराब आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वोट लेने के बाद यहां आकर फिर उनको नसीहत देने की बात करते हैं। उपसभापति महोदया, तस्करों को पकड़ने की बात की जाती है।

[उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] पीठासीन हुई]

जब कोई चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको छुड़वाने के लिये कौन जाता है? वहां के जो आफिसर होते हैं उनको छुड़वाने के लिये टेलीफोन आ जाते हैं। वह आफिसर कहता है कि साहिब फलां एम० एल० ए० या एम० पी० ने मेरे को टेलीफोन करके उसको छुड़वा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो एम० एल० ए० और एम० पी० या सीनियर आफिसर इस तरह से कहते हैं क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने वाले हैं? जो ऐसे कामों में इनडाइरेक्टली पार्टनर हैं, जो इन लोगों के लिये सत्ता में प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं, जो पावर से आफिसर्स को दबाने के लिये उसको प्रभावित करता है और मामले को आगे नहीं बढ़ने देते और जिनके बारे में आफिसर कहता है कि एम० एल० ए०, एम० पी० या मिनिस्टर का फोन है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं कहता हूं कि आफिसरों को ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं आने देना चाहिए और जो उनके कहने के अनुसार काम नहीं करते सही काम करते हैं उनको इनाम देना चाहिए। आज अगर वह सही आफिसर है, किसी एम० एल० ए० या एम० पी० के दबाव में नहीं आता है, सही ढंग से काम करता है तो ऐसे आफिसरों का तबादला हो जाता है, उसको खून की धमकियां मिलती हैं, ट्रांसफर की धमकी मिलती है। अगर जो कानून का पालन कराने वाले लोग हैं वे डर जायेंगे तो आप कितने भी अच्छे कानून क्यों न बनायें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं वे ही कानून का नहीं करेंगे, वे ही गैर-कानूनी कामों में शामिल होंगे तो फिर कैसे आप सुधार ला सकते हैं। जो बच्चों की आइसक्रीम होती है, जो टाफी होती है उसमें मिलावट होती है, इसमें चरस और अफीम घोलकर आइसक्रीम की टिकिया दी जाती है, 5 से 10 साल के बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स हैं वे चौबीसों घंटे नशे में रहते हैं और अपने दिमाग को खराब करते हैं। जो कल की हमारी भावी पीढ़ी है, जो कल के नेता हैं, जिनके ऊपर देश का भार है उनकी यह हालत है और उनको ठीक करने के लिये यह कानून पूरा नहीं है। कानून तोड़ने वाले जो हैं वे किसान नहीं हैं। अफीम पैदा करने वाला कानून नहीं तोड़ता है उसका दुरुपयोग करने वाला कानून तोड़ता है। आप कैरियर को पकड़ते हैं, कैरियर कोई भी ले जा सकता है, लेकिन उसका बास जो है उसको पकड़कर कैसे बन्द किया जाय इसको भी आपको देखना होगा। जो इसके पीछे मेन लोग हैं, जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, जिनको इससे ज्यादा पैसा मिलता है ऐसे लोगों को आप पकड़ कर अगर इसमें बंद करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप समस्या पर काबू पा सकते हैं। जो एम० एल० ए० या एम० पी० ऐसा करते हैं उनको प्रेस के द्वारा जाहिर करिये। आपके पास मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है, वी० सी० आर० है, इनका भरपूर उपयोग करके यह बतायें कि इससे कितनी खराबियां हो सकती हैं। इस चीज पर छोटी छोटी फिल्म बनाइये और समाज में अगर आप इसका प्रचार करेंगे, इसको दिखायेंगे कि यह बहुत खराब चीज है तो शायद इससे उनकी आदत टूट जाने की संभावना है। वाइस चेयरमैन साहिबा, जहां तक आपने राज्य

सरकारों को रूल्स बनाने के लिये कहा है मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे सबजेक्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के नीचे रखा जाय। राज्यों को इसके बीच में मत घसीटिये। इसमें राज्यों और सेन्टर के बीच में तालमेल नहीं होगी। राज्यों के रूल्स अलग रहेंगे और केन्द्र के रूल्स अलग रहेंगे। इसलिये अच्छा है कि सेन्टर धीरे धीरे इसके लिये अनेक प्रावधान कराये और धारा 56 इसमें जो है आपने कहा है सब आपस में एक दूसरे को पकड़वाने में मदद करेंगे। माननीय मंत्री जी, सूरत में आपने रेड डाली थी। वहां जो टेक्स इवेजन हो रहा था वहां जो मिलें चल रही थी सूरत में जो रेड डाली गई तो लोकल पुलिस ने कास्टम से सहयोग करने को मना किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाऐंगे आपके हुक्म पर। कास्टम वाले पिट गये, मारे गए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। आपके साथ लोकल पुलिस को आप्रेशन करने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि कोआप्रेट करेंगे सिर्फ इसलिए कि यह इस में लिखा है। वहां लोकल पुलिस की मिलीभगत है। वह तो पहले उनको रास्ता बता कर टरका देगी। इसलिए राज्यों की स्थानीय पुलिस उनसे पहले मिली रहती है। आप अपने हाथ में मशीनरी ले कर के चलेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप यह अपेक्षा करेंगे कि वह मदद करेंगे, वो मदद करेंगे इनकी अपेक्षा छोड़ कर आपको खुद सब कुछ करना है। आप ऐसा करेंगे तो प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकेंगे। इससे युवा पीढ़ी को फायदा होता है तो कानून सिर्फ युवा पीढ़ी को नहीं बचाएगा लेकिन पूरे समाज की जिम्मेदारी और समाज में आप और हम सब भागीदार हैं। युवा पीढ़ी की चिन्ता आप युवा वर्ष में कर रहे है इसलिए स्वापक औषधि और मन: पदार्थ प्रभावी विधेयक, 1985 आप लाए हैं, मेरा कहना तो यह है कि इसमें आप शराब को भी ले आएं तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि शराब भी दिमाग खराब करने वाली चीज है इसलिए शराब को भी इसी श्रेणी में रखिये इससे भी वही कुप्रभाव होते हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] : कल्पनाथ राय जी, आपसे प्रार्थना है कि आप 10 मिनट लीजिए।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, जो सरकार ने बिल पेश किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने भी मद्य निषेध, शराब-बन्दी, नशा-बन्दी को ले कर आन्दोलन किया था और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस में शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी और नशीले पदार्थों को त्यागने के लिए राष्ट्र के पैमाने पर आन्दोलन किया था। स्वदेशी आन्दोलन में यह भी बहुत बड़ी चीज थी और इस स्वदेशी आन्दोलन ने भी हमारे देश की आजादी की लड़ाई को बहुत मजबूत किया था। आजादी के बाद हमारे देश में इस चीज का इस्तेमाल बढ़ा है। जनता सरकार के जमाने में मद्य निषेध का कानून लाया गया था और मैं समझता हूं कि वह बहुत ही सही कदम था। आज फिर इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वह इस मद्य या ड्रग के इस्तेमाल करने वालों गांजा अफीम हशीश हेरोइन जितने मद्य पदार्थ हैं इनका व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए वरन् आने वाली पीढ़ी को इसका फल भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान रूस के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गोर्बाचोव ने पहला काम यह किया है कि रूस में शराब पर पाबन्दी लगा दी है जिसके कारण पूरे रूस में गोर्बाचोव की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त बढ़ी है वहां की महिलाओं ने गोर्बाचोव के इस काम का स्वागत किया है। मैं अपने देश के नये प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी और अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले खतरे को

[श्री कल्पनाथ राय]

ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान में नशाबन्दी और हर तरह के ड्रग के इस्तेमाल पर कड़ा कानून बनाए। मैं गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। आज अफीम का व्यापार, हशीश, हेरोइन, गांजा का व्यापार एक बड़े ही व्यापक पैमाने पर चल रहा है। मैं हुक्मदेव नारायण यादव जी से सहमत हूं कि जो गांजा के तस्कर व्यापारी हैं, वह खुद काम नहीं करते, बल्कि यह गांजा नेपाल से सैकड़ों, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच सौ मजदूरों को एम्पलाय करते हैं और जिन लोगों की रोजी-रोटी नहीं है, बिलकुल बाण्डेड लेबर की किस्म के लोग हैं, या बिलकुल गरीब हैं, दरिद्र हैं, निर्धन हैं, उन लोगों के माध्यम से वह गांजे का व्यापार करते हैं और आधुनिकतम हथियारों से लैस उनकी गाड़ियां चलती हैं पांच-पांच सौ व्यक्ति नेपाल से गांजा लेकर चलते हैं और वह भटनी रेलवे स्टेशन से होते हुए घाघरा नदी को पार करके अन्य इलाकों में वह लोग चले जाते हैं। अगर कहीं पुलिस रास्ते में आती है, तो वह आधुनिक अस्त्रों से लैस तस्कर पुलिस से मुठभेड़ करते हैं और अपने सामान की रक्षा करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज इस धंधे में एक इण्टरनेशनल गैंग तस्करी के व्यापार में अफीम से बनने वाली हेरोइन या उससे बनने वाली हशीश, इन चीजों का व्यापार आज व्यापक पैमाने पर हो रहा है और स्कूलों और कालेजों में भी अब लड़के ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू किये हैं और हमारी मल्टी-नेशनल कम्पनियां भी अपने ड्रग्स को एक्सपरिमेंट के तौर पर हमारे देश के अंदर मादक पदार्थों को व्यापक पैमाने पर बेच रहे हैं। तो आज जब देश में, आज रूस और अमरीका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों के सामने भी एक समस्या पैदा हो गई है, वहां की पीढ़ियां, वहां के लोग शराब, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर अपने राष्ट्र के जीवन को क्षत-विक्षत कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में हमारा देश जो विकासशील देश है, इस देश में अगर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो भविष्य इतना खराब और अंधकारमय होगा कि हमारे देश की नई पीढ़ी, अगर इन चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाएगी तो शहीदों के खून से अर्जित हिंदुस्तान की आजादी को बचाना भी हमारे लिये मुश्किल हो जाएगा। यह पूरी आजादी पर हमला है। मैं कह सकता हूं कि यह सांस्कृतिक हमला है। यह पूरी आजादी को खत्म करने का हमला है। कोई अगर विदेशी ताकत अपने शस्त्रों के बल पर हमारे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकती है, अगर वह लड़ाई के माध्यम से हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकती है, तो पूरे देश की पीढ़ी को मादक पदार्थ के इस्तेमाल को व्यापक पैमाने पर करवा कर पूरी पीढ़ी को नष्ट कर सकती है। यह भी एक सांस्कृतिक हमला है। हमारे देश के ऊपर समाजवादियों के द्वारा, उपनिवेशवाद ताकतों के द्वारा हिंदुस्तान में मादक पदार्थों का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर दिया जाए और ड्रग का इस्तेमाल, या हशीश का इस्तेमाल या हेरोईन का इस्तेमाल या अफीम से बनने वाले सामानों का इस्तेमाल, या गांजे का इस्तेमाल, या शराब का इस्तेमाल इस मुल्क में इतने व्यापक पैमाने पर कर दिया जाए कि जो देश का अगुआ वर्ग है, अभिजात वर्ग है, जो देश का शासन करने वाला वर्ग है, वह इन मादक पदार्थों के जाल में फंस जाए और यह राष्ट्र गुमराह हो जाए और व्यापार व्यापक पैमाने पर मेरे देश में हो रहा है कितना ?

मैं तो कहता हूं कि आपने बीस वर्ष की सजा की है, आज जो हशीश, गांजे के व्यापारी या अफीम बेचने वाले हैं या मादक पदार्थ को बेचने वाले हैं या समाज के अंदर जो हशीश, हेरोइन बेचने वाले हैं, उपसभाध्यक्ष महोदया,

इनकी पकड़ कहीं-कहीं होती है क्योंकि यह तो अपना काम गरीब लोगों के माध्यम से कराते हैं। यह अपना धंधा हजारों-हजार जो समाज के बेकार लोग हैं, उनको पचास या सौ रुपया या दो हजार रुपया महीना देकर उनसे काम कराते हैं और करवाते हैं और अपने आधुनिक हथियारों से लैश होकर आए दिन में सफलता प्राप्त करते हैं।

आदरणीय महोदया, हमारी जो चैक पोस्ट्स हैं, हमारी भारत की सीमा नेपाल से लगी हुई है, भारत की सीमा बंगला देश से लगी हुई है, भारत की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। अभी पाकिस्तान से तीन करोड़ का हशीश हमारी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान होते हुए चीन हशीश जा रही थी।

आज एक इण्टरनेशनल गैंग है जोकि आपरेट कर रहा है। तो प्रश्न है कि इस अवैध धंधे में हमारे सरकारी कर्मचारियों और बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों की भी मिली भगत है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितने लोगों को बरखास्त किया गया जिन्होंने अपने काम में ढिलाई की, या जिन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया? पुलिस की मिलीभगत है यह देश के तस्कर, गुंडे और पुलिस, बड़े आदमी, पुलिस का स्तकर, ये तीनों मिल करके इस अवैध धंधे को करते हैं। इन तीनों में एक गठबन्धन है, जो तथाकथित बड़ा आदमी, पुलिस और गुंडे ये तीनों की एक एक्सेज बनी हुई है जिसके माध्यम से ही यह अवैध धंधे हो रहे हैं और इसको सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इमर्जेंसी के दौरान हाजी मस्तान को बम्बई में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। उस जमाने में हमारे जिले के हजारों लोग जो हाजी मस्तान के साथ उसके अवैध धंधे में काम करते थे, उन बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हाजी मस्तान के जेल में चले जाने के कारण हम लोगों का रोजगार बंद हो गया। यानि बम्बई और कलकत्ते में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोग रोजी-रोटी की तलाश में जाते हैं ऐसे लाखों गरीब लोगों का ये बड़े-बड़े तस्कर, स्मगलर अपने धंधों में उनको इस्तेमाल करते हैं। उनकी बांह इतनी लंबी है कि जब तक इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं होती तब तक इनका कुछ नहीं होगा। इनके लिए तो फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दस-बीस वर्ष की सजा कोई विशेष चीज नहीं है। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस बिल के माध्यम से जो पकड़े जायेंगे यानि गांजा का व्यापार जिसके बारे में बहुत से मित्र जानते हैं कि नेपाल से जितना गांजा आता है, यह सब जो बंधुआ किस्म के मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, हरिजन, गिरिजन, आदिवासी हैं, मुसार हैं, जनजाति हैं या जिन्हें कोई काम-धंधा नहीं मिल पाता है उन लोगों के माध्यम से ये बड़-बड़े गांजा के व्यापारी अपना अवैध धंधा करवाते हैं। उन लोगों के सिर पर गांजा ऐसे लाद दिया जाता है जैसे कि गाय और भैंस पांच-पांच सौ की संख्या में बोझ उठा कर चलती हैं वैसे ही ये पांच-पांच सौ की संख्या में चलते हैं और इन मजदूरों के पीछे-पीछे आधुनिक हथियारों से लैस गांजे के व्यापारी चलते हैं। नेपाल से चले सीधे उन्होंने सीमा पार किया, इधर आया, वहां से आये भटनी रेलव स्टेशन, भटनी रेलवे स्टेशन से आगे आये और सरजू नदी को पार किया और फिर गाजीपुर पहुंचे; गंगा पार किया तथा फिर बलिया तक पहुंच गए। तो यह इस प्रकार का धंधा है। ऐसे लोग जो कि इस धंधे में लिप्त हैं उनकी गर्दन को पकड़ने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहां जो अवैध मादक पदार्थों का धंधा चल रहा है इसमें एक तरफ से पुलिस, दूसरी तरफ तस्कर व्यापारी और तीसरी तरफ गुंडे हैं, जो कि असामाजिक तत्व

[श्री कल्पनाथ राय]

हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, गुंडे, पुलिस और तथाकथित बड़े आदमी ये तीनों मिल कर इस मादक पदार्थों के धंधे को इस मुल्क में बढ़ा रहे हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो पुलिस के कर्मचारी इन अपराधियों को इस अवैध धंधे को करने में प्रोत्साहन देते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। कितने पुलिस के अधिकारी जो सीमाओं पर लगे हुए हैं नेपाल के, बंगाल के और पाकिस्तान के, ऐसे कितने बड़े-बड़े अफसरों को बर्खास्त किया गया है? कितने गुंडे अपराधी हैं जो गिरफ्तार किए गए, फिर सरकार उनको छोड़ देती है। एक बार गिरफ्तार किया किन्हीं कारणों से फिर वे छूट जाते हैं। आप क्यों नहीं इनको बंद करते हैं। इनको तब तक बंद करना चाहिए जब तक कि इनकी रीढ़ की हड्डी न टूट जाए। इस धंधे को करवाने वाले जो हाजी मस्तान जैसे लोग हैं या और कुख्यात तस्कर हैं इनके खिलाफ भी सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिएं। एक अंतिम निवेदन करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, आज इस देश में नई पीढ़ी को एक बड़ा भारी खतरा है, यूनिवर्सिटी और कालेजों में इन मादक पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहां पर लड़के शराब पीने की आदत सीखने लगे हैं और वे ऐसी-ऐसी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्हें खाकर वे लड़के तीन-तीन दिन बेहोश रहते हैं। तो इस प्रकार यह साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा यहां की नई पीढ़ी पर एक सांस्कृतिक हमला है। तो मेरा निवेदन है कि आजादी की लड़ाई के दौरान में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों-लाख की संख्या में मदिरा की दुकानों पर एजीटेशन किया था, सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था, खादी-स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। इस प्रकार स्वदेशी को प्राथमिकता दी गई थी। अब जिस आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहर लाल जी के नेतृत्व में नशाबंदी, शराब-बंदी के खिलाफ सत्याग्रह किया गया, आज उसी जमाने में देश की आजादी के बाद उन्हीं चीजों को सरकार क्यों नहीं खात्मा करती है? यह देश की नई पीढ़ी देश के नए प्रधान मंत्री को बधाई देगी, अगर इस मुल्क में प्रोहीबिशन, पूरे राष्ट्र में प्रोहीबिशन को लागू किया जायेगा। आज कम्युनिस्ट कंट्री रूस के जो जनरल सेक्रेटरी गोर्बाचोव हैं, ने पूरी कंट्री में प्रोहीबिशन को लागू किया है और इसी कारण आज गोर्बाचोव रूस के पापुलर लीडर बन गए हैं। वहां जगह-जगह उनको पसंद किया जा रहा है। रूस जैसे देश में भी पूर्ण मद्य-निषेध किया गया है।

अमरीका और पश्चिमी देशों में आज यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अभी भी हमारे देश में, जो सारे विकासशील देश हैं, पश्चिमी जगत की जो वहां खराबियां हैं, उनको लेने की कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं, वहीं आपसे और सरकार से निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान में पूर्ण मद्यनिषेध को तत्काल लागू किया जाना चाहिए...(**समय की घंटी**)...और जो असामाजिक तत्व, राष्ट्र-द्रोही तत्व, एण्टी सोशलिस्ट, गुण्डे बड़े-बड़े तस्कर व्यापारी हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की जाए ताकि यह रोग जो संक्रामक रोग की तरह फल रहा है, उसे रोका जा सके। तपेदिक, हैजा तथा दूसरे संक्रामक रोगों की तरह आज देश में नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों का उपभोग बढ़ रहा है और इसके लिए युद्धस्तर पर अभियान छेड़ने की जरूरत है, सरकार को इस दिशा में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और कम से कम प्रोहीबिशन तो सारे राष्ट्र में तत्काल लागू करना चाहिए।

महोदया, 2 अक्तूबर महात्मा गांधी का जन्म दिन है और 2 अक्तूबर को अगर इस कार्य को कर सकें, तो राष्ट्र-

पिता महात्मा गांधी के प्रति देश की महान श्रद्धांजलि होगी । देश के अतीत के इतिहास को, देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास को सामने रख कर हमें भविष्य का निर्माण करने के लिए मद्यनिषेध को तत्काल लागू करना चाहिए और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, इस कानून को मजबूती से लागू करना चाहिए ताकि हेरोइन, हशीश, गांजा तथा अन्य नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जा सके । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज मादक-द्रव्यों की तस्करी कुछ लोगों के लिए स्वर्ग बन गई है । अगर कोई झटपट धनी बनना चाहे, तो उसे मादक द्रव्यों की तस्करी का रास्ता अख्तियार करना चाहिए । यह देखने को मिलता है कि कल जो गांव में खाक छाना करते थे, आज मादक द्रव्यों की तस्करी से करोड़पति बन गये हैं और धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जा रही है । इस पेशे में आखिर कौन लोग लगे हैं ? गांव का गरीब किसान इस पेशा में नहीं है, गांव का मजदूर इस पेशा में नहीं है, कोई गरीब मजदूर इस पेशा में नहीं है, यह पेशा करने वाले समाज के संपन्न लोग हैं, जिनके हाथों में काफी दौलत है, करोड़-पति, लखपति इस व्यापार को करते हैं । इस व्यापार के अन्दर वह गांवों के या शहरों के जो गरीब लोग हैं, उनको फंसा कर यह काम करते हैं । यह लोग फंसते हैं, इसलिए कि सरकार शहरी गरीबों को या दूसरे गांव के गरीबों को कोई काम नहीं देती या दूसरा कोई स्वस्थ धंधा उनको नहीं मिल पाता । इसलिए यह समाज-विरोधी तत्वों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनसे इस प्रकार यह कार्य लिया जाता है । अगर यह देखा जाए तो यह व्यापार देश के दो छोरों में फैला हुआ है ···पश्चिम और पूर्वी छोरों पर । पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर हेरोइन और आपियम की तस्करी होती है । इसी तरह से पूर्वी छोर पर मणिपुर का इलाका तस्करी का अड्डा बन गया है जहां थाईलैंड से हेरोइन और दूसरे मादक द्रव्य काफी मात्रा में आते हैं और यह धंधा एक ऐसा धंधा है कि जिसमें सोने की तस्करी से भी ज्यादा लाभ होता है । इसलिये आज हेरोइन की तस्करी का अड्डा दिल्ली बन चुका है और दिल्ली में काफी लोग इस धंधे में लगे हुए हैं । पाकिस्तान से वह मंगाते हैं और यहां से अफीम, हेरोइन और दूसरे मादक द्रव्यों को बंबई और कच्छ भेजते हैं जहां से यह विदेशों को निर्यात होते हैं । तस्करी का धंधा आज इतना व्यापक हो गया है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा इस में लगा हुआ है । न सिर्फ अखबारों से यह बात आती है कि जहाजों के कर्मचारी भी इस तस्करी के व्यापार में लगे हुए हैं बल्कि दूतावासों के कुछ लोग भी इसमें लगे हुए हैं ऐसा पता चला है । इसलिये लगता यह है कि यह धंधा धीरे-धीरे काफी लोगों को अपने चंगुल में फंसाता जा रहा है । अभी कई माननीय सदस्यों ने बिहार और यू० पी० में गांजे की तस्करी के बारे में चर्चा की । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं । बिहार के अंदर गांजा नेपाल से आता है जैसे कि यू० पी० में आता है और जिस को माननीय सदस्य ने अभी बताया । यह आसाम से आता है बिहार में, और मणिपुर से आता है । यह ट्रकों में आता है । और ट्रक में अदरक लादा जाता है और उस के बीच में गांजे के बोरे रहते हैं और जितने भी चेक पोस्ट होते हैं उन पर बंधा हुआ पैसा हाथों में थमा दिया जाता है और वह ट्रक पास कर दिया जाता है । इस धंधे में पुलिस के लोग भी मदद करते हैं । इस धंधे में राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं और सरकार के अधिकारी भी इसमें संलग्न हैं । इसलिये आज यह व्यापार बहुत ही कुख्यात हो गया है और काफी लोग इसके शिकार बन चुके हैं । कालेज के विद्यार्थी और दूसरे लोग आज इन मादक द्रव्यों का सेवन कर अपने स्वास्थ्य

[श्री सूरज प्रसाद]

और आध्यात्मिक विकास का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। आज दिल्ली में अगर देखा जाये तो किसी भी पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर या किसी निम्न कोटि के होटल में मादक द्रव्य मिल सकते हैं। इसलिये आज दिल्ली बड़ा ही कुख्यात हो गया है इस मामले में। दिल्ली के अंदर तो अफीम से हेरोइन बनाने की प्रयोगशाला भी खुल चुकी है। सरकार को मालूम है या नहीं, लेकिन सरकार को यह नोट करना चाहिए कि अफीम से हेरोइन बनाने की प्रयोगशाला दिल्ली में कई पाई गई हैं। प्रश्न उठता है कि सरकार ने इस कानून को बनाया है। इसमें पहले से कुछ कड़ा प्रावधान भी सजा का किया है। जहां पहले 3 वर्ष की सजा थी ओपियम ऐक्ट में या दूसरे कानूनों में, उनमें तीन वर्ष की सजा थी। सरकार ने कानून में 10 वर्ष के स्थान पर सजा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के जो पहले कानून थे जरूर उनमें कुछ कमजोरी थी चाहे ओपियम ऐक्ट हो, चाहे डेन्जरस ड्रग ऐक्ट हो या कस्टम हो। कस्टम ऐक्ट भी इन चीजों को रोकता था। कानून के अनुसार सरकार के कई विभाग इस तस्करी को रोकने में संलग्न थे। नारकौटिक ब्यूरो, ड्रग इंस्टीट्यूट, केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो, प्रान्तीय पुलिस, विभिन्न तरह की सरकारी ऐजेन्सियां इसे रोकने में लगी हुई थीं। फिर भी देखने को मिलता है कि यह रुकी नहीं, बढ़ती जा रही है। क्या कारण है। कारण यह है कि तस्करी के व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा है। मार्कर्स ने कहा था कि अगर किसी व्यापार में तीन सौ प्रतिशत मुनाफा हो तो व्यापार करने वाला फांसी की सजा भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन वह व्यापार को बन्द नहीं करेगा। इसलिए सरकार ने कानून बनाने की कोशिश की है, कड़े से कड़ा, कठिन से कठिन दण्ड देने की व्यवस्था की है, 10 से 20 वर्ष की सजा कर दी है, 20 वर्ष की सजा एक तरह से जन्म भर की सजा होती है, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि सरकार ने पहले भी कानून बनाया था, फिर भी ये कानून इस तस्करी को क्यों नहीं रोक पाए। मेरा ख्याल यह है कि सरकार के पास राजनैतिक इच्छा, पौलिटिकल विल का अभाव है कानून को लागू करने के लिए। इसलिए सरकार के जितने भी कानून पास होते हैं, उनकी रक्षा नहीं होती है। अगर यह कानून पास भी हो जाए तो मेरी समझ यह है कि तस्करी का व्यापार नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि बहुत से तस्कर व्यापारी हैं जिन्हें समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत प्राप्त है। बड़ी से बड़ी तस्करी करने वाले पार्लियामेंट और ऐसेम्बली के सदस्य होते हैं, आज भी हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में कोई तस्कर व्यापारी हो तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको अपनी पार्टी से निकाल देगी मेरी पार्टी में हो तो मैं उसे निकालने के लिए तैयार हूं। क्या सरकार यह करने के लिए तैयार है। मान लीजिए कोई विधायक आपके यहां तस्कर है तो क्या सरकार उसे पार्टी से निकाल देगी?

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : निकाला है। ... (**व्यवधान**)

श्री सूरज प्रसाद : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आज तस्करी का धन शेयर खरीदने में लगा हुआ है। आज शेयर के बाजार में बूम है। यह धन कहां से आ रहा है। काला धन कहां से आ रहा है? तस्करी का व्यापार काला धन है। क्या सरकार ऐसे लोग जो शेयर बाजारों में शेयर खरीद रहे हैं क्या उनका धन सरकार जब्त करेगी या ऐसे लोग जिन्हें तस्करी से करोड़ों रुपया मिला है, उनके धन को जब्त करेगी? दिल्ली के अन्दर एक व्यक्ति है, नाम मुझे याद नहीं, जो करोड़पति है, ईश्वर चन्द्र है या नाम आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उसके पास इतना धन है तो क्या सरकार उसको जब्त करेगी? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं। कि जो तस्करी से पैसा कमाता है या नये तरीके से चोरबाजारी से कमाता है वह समाज में प्रतिष्ठा पाता है, समाज के लोग उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो क्या उनके

विरुद्ध सरकार कोई पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करेगी ताकि ऐसे तत्वों के खिलाफ समाज में प्रचार हो? तभी सही माने में देश के अन्दर तस्करी के व्यापार को चाहे मादक द्रव्यों में हो या अन्य किसी तरीके से, इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर मादक द्रव्यों की तस्करी रोकना चाहती है तो कानून को लागू करने की दिशा में पोलिटिकल विल दिखाये ताकि साथ ही साथ इस कानून में भी कुछ संशोधन करे कि अगर कोई तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए तो उन्हें सजा हो न दी जाए वरन् उनकी सारी सम्पत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र): माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, दो महीने पहले की बात है देहली से 15/20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में हम कुछ महिला कार्यकर्ताएं एक कैम्प में गयी थीं। उस शिविर के शिविरार्थी थे ड्रग एडिक्ट्स। सर्वनाश तक ले जाने वाली महाभयानक आदत को छुड़वाने के लिये वे कैम्प में आए थे। उनका ड्रग के बिना तड़पना देखा नहीं जाता था। उनके शरीर को ड्रग की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना किसी को उलटी हो रही थी, किसी को बार-बार टट्टि आ रही थी, किसी को बुखार आया था। जो ड्रग एडिक्ट है, उनको ड्रग न लेने से ये हालत, और ड्रग लेने से जानवरों जैसी अवस्था, कुछ काम के नहीं, अपनी ही धुन में मग्न थे। इस कैम्प में बहुतांश युवक कालेज में पढ़ने वाले थे। मां-बाप बिचारे परेशान थे दुनियाभर में लाखों स्त्री-पुरुष खास कर युवक-युवतियां नशीले पदार्थों के अधीन हुए हैं।

कुछ साल पहले, ड्रग एडिक्ट कहें तो एक तस्वीर सामने आती थी वह थी हिप्पियों की। मैले, गंदे, कपड़े पहना हुआ, रूखे सूखे लम्बे बाल वाला, नशे में, अपनी ही धुन में, गंदी जगह पर पड़ा हुआ हिप्पी। लेकिन आजकल देखें तो हमारे देश में भी इन नशीली चीजों पर प्रसार हो रहा है। अब तक ऐसे लगता था कि हमारी संस्कृति हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी चीजों को नहीं अपना सकेगी लेकिन न केवल उच्च लोगों में बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों में यहां तक कि मिल मजदूर, खेत मजदूरों में इसका फैलाव हो रहा है खास कर युवा वर्ग इसकी ओर आकृष्ट होता जा रहा है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी कैम्पस में से, और कुछ दिल्ली के कालेजों में से 3000 विद्यार्थियों का सर्वे किया। उसके अनुसार 11 प्रतिशत विद्यार्थी ड्रग एडिक्ट निकले। तीन सालों में सिर्फ हेरोइन के अधीन युवकों की संख्या कुछ हजारों से एक लाख तक पहुंची है। डिपार्टमेंट आफ सायकिया आफ मद्रास मेडिकल कालेज के स्टडी ग्रुप के अनुसार 70 प्रतिशत पुरुष और 20 प्रतिशत महिला इन्टर्नस नियमित शराब लेते हैं। इससे भी खतरनाक चीज यह है कि 25 परसेंट युवक और 30 परसेंट युवतियां केनाबिस जैसी खतरनाक नशीली दवा की शिकार हो गयी हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी "स्मोक ए ज्वायंट" जैसी चीजें कामन हो गयी हैं। कोई मिल के लिए, कोई कम्पनी के लिए, तो कोई प्रस्थापित मूल्यों के खिलाफ उठ खड़े रहने की बहादुरी हम दिखा सकते हैं, यह सिद्ध करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। उनके परिणाम क्या होंगे यह वे जानते नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन बरबाद कर लेते हैं।

महोदया, उत्तर भारत में खेत मजदूरों को ड्रग देकर, उनके नशे में मालिक उनसे भरपूर काम करा लेते हैं और जीवन भर वे ड्रग के गुलाम और ड्रग के लिए उन मालिकों के गुलाम बनते हैं। सामाजिक रूढ़ी और धार्मिक परम्परा के कारण भी गांजा चरस जैसी चीजें कुछ समुदायों को उपलब्ध हो सकती हैं। किसी कारण मादक पदार्थों का सेवन करने से मनुष्य बरबादी की ओर जाता है, बरबादी मोल लेता है। महोदया, हमारी युवा पीढ़ी को बरबाद होने से बचाने के लिए नशीली दवाओं का व्यवसाय करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है और इस विधेयक से

[श्रीमती सुधा विजय जोशी]

सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, ये कदम स्वागत योग्य है।

नशीली दवाओं का आयात-निर्यात बढ़ गया है और इन्टरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के 1984 की रिपोर्ट के मुताबिक भी, भारत को ट्रांजिट कंटरी के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली और बम्बई ऐसे ड्रग बाहर भेजने के महत्वपूर्ण प्वाइंट्स हैं। यह बात हमारे वित्त मंत्री महोदय ने 26 मार्च, 1985 को अतारांकित प्रश्न सं० 903 के जवाब में माना है। पश्चिमी देशों में हिरोईन और हशिश चोरी छिपे ले जाने के लिए भारत एक मेजर ट्रांजिट पाइंट है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इरान जो गोल्डन क्रिसेन्ट कहलाते हैं और थाईलैण्ड लाओस और बर्मा जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, उसके बीच में बड़ी मौके की जगह पर हिन्दुस्तान बसा हुआ है और इसलिए ड्रग ट्रांजिट के लिए बड़ा आइडियल है। जिस प्रकार बाहर के देशों से नशीले पदार्थ आते हैं वैसे ही हमारे देश में भी ओपियम की पैदायश करते हैं। यह ओपियम फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स को निर्यात करने के लिए पैदा करते हैं, लेकिन आजकल ओपियम के लिए केमिकल सबस्टीट्यूट हो गया है। बहुत से देश पॉपी की पैदायश करते हैं। इसलिए हमारी ओपियम की मांग घट गई है। पैदा किया हुआ ओपियम या तो हमारे मार्केट में आ गया है या हिरोईन बनाने वाली इल्लीगल फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस व्यवसाय में लगे हुए लोग इस देश में अपना आसन वरिष्ठ करेंगे तो फिर उनसे सामना करना बड़ा कठिन होगा जैसे कि अन्य देशों में हुआ है। कोलम्बिया में ड्रग ट्रैफिकर्स और माफिया गेंग के खिलाफ अभियान चलाया तो कानून मंत्री को ही जान से मार दिया गया। इतना पैसा उनके पास होता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बड़े कानून की सख्त जरूरत थी। इस विषय में जो पुराने कानून थे वे पर्याप्त नहीं थे। इन कानूनों के अनुसार ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गुनाह के लिए कुछ महीनों की जेल काटना या फाइन देना जैसी मामूली सजा पर गुनहगार छूट जाता था। मिनिमम सजा तीन साल की होती थी जब कि ईस्ट एशियन कन्ट्रीज में ट्रैफिकिंग के लिए मौत की सजा देते हैं। इस विधेयक में क्लाज 15 से क्लाज 32 तक अलग-अलग गुनाहों के लिए अलग-अलग सजा दी गई है।

इल्लीगल कैनाबिस कल्टीवेशन और गांजा प्रोसेसिंग के लिए विद्यमान कानून के मुताबिक 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन इस विधेयक के अनुसार पहले गुनाह के लिए पांच साल (इम्प्रीजनमेन्ट) कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना और रिपीटेड आफेन्स के लिए 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना है। मिनिमम पनिशमेन्ट इसमें नहीं दी गई है, यह कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। ऐसे गुनाहों के बारे में मिनिमम पनिशमेन्ट का जिक्र बिल में ही करना आवश्यक है।

इस बिल में नशीली दवाओं की पैदाइश से लेकर उसका पजेशन, खरीदी, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, भारत में अन्तर्राज्यीय, और भारत के बाहर निर्यात, आयात, चरस, हाशिश जैसे नशीले पदार्थों का और साइकोट्रापिक सबस्टन्सेस का इस्तेमाल तक सब का जिक्र किया गया है। इन गुनाहों के लिए कम से कम 10 साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माना और यह सजा 20 साल की कैद तक और दो लाख जुर्माने तक बढ़ सकती है। कोर्ट को लगे तो इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस प्रकार से सजा बढ़ाई है यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह सजा ज्यादा नहीं है। इन गुनाहों में जितनी सजा दें उतनी कम ही है।

क्लाज 27 के मुताबिक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए थोड़ी मात्रा में ये पदार्थ रखने वाले को अधिकतम एक साल की सजा या फाइन रखा है, यह सजा बहुत कम है। नशा करने वालों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए तभी वे नशा करने से डरेंगे। इसमें भी मिनिमम पेनल्टी नहीं दी है। यह भी उचित नहीं। मिनिमम पेनल्टी रखनी चाहिए। ये पदार्थ अपने

व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैं यह प्रूव करना एक्ट की जिम्मेदारी रहेगी, यह इस विधेयक में जो क्लाज है, यह उचित ही है। पुराने कानूनों के मुताबिक नारकोटिक्स कस्टम्स, सेन्ट्रल एक्साइज जैसी एजन्सीज को गुनाहों का इवेंस्टिगेशन करने के अधिकार नहीं थ। इस विधेयक में य अधिकार इन एजन्सीज को दिय गय हैं जिससे गुनाहों की तलाश अधिक गति से करने में मदद होगी। ड्रग्स के दुष्परिणाम लोगों के मन पर विदित करें इसलिय यूनिवर्सिटी की, मास कम्युनिकेशन मीडिया की, सेवा भावी संस्थाओं की सहायता लने का सरकार का विचार स्वागतयोग्य हैं। इसमें सरकार वित्तीय सहायता भी देगी, यह कार्य एक अच्छा कदम है।

महोदया, इस प्रकार का कानून सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको सख्ती से कार्यान्वित करना चाहिए। आशा है इसके लिए सुयोग्य कायवाही होगी और हमारी युवा पीढ़ी विश्वास का जीवन जी सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Mr. P. Radhakrishnan.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Madam, I am not going to oppose the Bill: On the other hand, I welcome the Bill. First of all, I am of the opinion that this should have been enacted a long time back. It is already much delayed, and it would have saved the future of the youth of the country, particularly students, if the Bill had been enacted long back. So I am not going to speak much on this Bill. I would say only a few words,

According to me. even the present state of this Bill is not sufficient to cope up with the needs, because primarily it is a proposal only to enhance the minimum punishment to "Anders. As a matter of fact, no offender will fear the length of imprisonment. First of all, professional criminals will escape through loopholes of the law. They will never come into the hands of enforcing authorities. So it is not sufficient to propose the length of imprisonment but there must be effective enforcement of the law; enforcing authority and machinery must be effective.

Another thing. This is not, I think, referring to anything about the Narcotic Drugs Commission. I am told that the International Narcotic Drugs Commission working from Geneva is not satisfied with the functioning and constitution of the National Narcotic Drugs Commission of India and, more paticularly, it has a very bad opinion of it, because there are no experts in said Commission and only it is constituted by the politicians and they are working at the hands of their political motives. So this is also one of the reasons for their not being able to control the dangers out. of it.

Madam, every speaker is speaking about the students using these drugs and materials. But it is in the hands of the Government to check it. Of course, students may be aware of the consequences or may be aware of the temporary needs for which they may use them. I request the Government to take appropriate steps to stop the students from using these drugs. Some speakers were also talking about the use of these drugs by the politicians during the elections or during other functions. That is why I request the Government that they may check it. And hence T support the Bill.

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, इस विधेयक का स्वागत भी करता है और समर्थन भी करता है। साथ ही विरोधी पक्ष के सभी लोग इसका समर्थन कर रहे है। वे इसका खाली समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि वे यह भी कह रहे हैं कि इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा है तो

[श्री रामचन्द्र विकल]

मैं उनसे कहूंगा कि वे सलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाली अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि इससे आपकी ही मंशा पूरी की जा रही है। जब यह विचार के लिये आया है तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने के बजाय इस को जल्दी पारित कर देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह एक सत्य है कि स्वराज से पहले हमारे देश में सरकार ऐसा काम नहीं करती थी, इसको समाज करता था, धार्मिक संगठन करते थे, सामाजिक संगठन करते थे और समाज में यह बुराई नहीं थी, सौवां हिस्सा भी यह बुराई समाज में नहीं थी। लेकिन जैसे देश में स्वराज आया अपनी सरकार आई, हमारा समाज कमजोर होता चला गया और सारा काम हम सरकार पर छोड़ते चले गये। सरकार के कानून बनने से पहले ही उसको तोड़ने की विधि बताने वाले विशेषज्ञ हमारे देश में पैदा हो गये। अब यह चीजें इस ढंग से चल रही है कि छोटे देहातों में ऐसी चीजें सुनाई जाती है और जिसको हमारी नई पीढ़ी पढ़ती भी है। डिप्टी चेयरमैन साहिबा, एक बार इलाहाबाद में ठहरने का मौका पड़ गया। वे नावल पढ़ रहे थे। खाना रखा रहा और वह खाने को न खाएं। मैंने बोला खाना रखा है, खाते क्यों नहीं है। साहब बड़ा दिलचस्प किस्सा पढ़ रहा हूं। क्या किस्सा है? क्या किताब है? जासूसी नावल पढ़ रहा हूं। भाई इससे क्या फायदा हो रहा है? इसमें चालाकी का जवाब चालाकी से देने की बहुत सी कहानियां भरी हुई हैं। क्या फायदा होगा? मुझ पर एक दफा मुकदमा हो गया। मकान मालिक का नोटिस आया एक लिफाफे में बन्द हो कर मैंने उस मकान मालिक के लिफाफे को खोल कर कोरे कागज भर कर दूसरे लिफाफे में भेज दिये और कहा कि आपने मेरे पास कोरे कागज क्यों भेजे है। और जवाब दे दिया। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देने का साहित्य बांट रहे हैं, सिनेमा आज बच्चों को समाज को अपराध सिखा रहा है, समाज में कानून का पालन करने की क्षमता न रहे, सरकार का भय खत्म हो रहा है, चुनाव की पद्धतियों की वजह से, दूसरी कमजोरी की वजह से, ईश्वर का भय नहीं रहा, फिर तो अपराध का ही आज यह विधेयक आया है मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अपने कानूनों को जरूर सख्त करे मगर कानूनों से पहले कानून का पालन कराने वाले जो अधिकारी है जिनसे आप पालन कराएंगे उस एजेंसी को भी मजबूत करना होगा। अगर कोई कमजोरी होती है मगर हमारे अधिकारी लोग कानून का पालन कराते है उनमें कोई कहीं कमजोरी नहीं है यह बात आप जरा होशियारी से देखेंगे। हर एक समाज में जितने संगठन हैं चाहे धार्मिक हों, सामाजिक हों यह स्वराज्य आने के बाद कमजोर पड़ते गये हैं। जो नाम मात्र को आज रह गये हैं सरकार उनका सहयोग ले सकती है, तब अपराध बहुत कम हो जाएंगे। समाज का भय अभी भी लोगों में बहुत है कम तो हुआ है मगर जब समाज दण्डित करता है तो उसका भय सब मानते हैं। सरकार जो कानून बनाती है, जेल जाने के भी अब आन्दोलन होते हैं, अपराध बढ़ाने के आन्दोलन होते है। यह जो विधेयक आया इसमें जो दण्ड की व्यवस्था है ठीक है सब लोग मांग कर रहे है कि कम है इसको बढ़ाया जाए मगर उसके पहले उसकी मान्यता कैसे हो इस पर विचार करना चाहिये। मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं दिल से समर्थन करता हूं। साथ ही सरकार से यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो कर्मचारी है अधिकारी हैं जो कानून का पालन करवाते हैं उनकी देखभाल भी जरूर होनी चाहिये। वे तो कहीं अपराधियों से मिले हुए नहीं है। वह तो कानून तोड़ने वालों को शह नहीं देते हैं अपराधियों को शह नहीं देते हैं, तस्करों को बचाने के लिए शह नहीं देते है। इस तरह से सरकार की जिम्मेदारी अपने अधिकारियों के प्रति है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, कालेज और स्कूलों का सम्बन्ध है, यह अपराध खास कर हमारे नये बच्चे और बच्चियों में आ रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य है। जिस जवान पीढ़ी पर हम उनका भविष्य और देश का भविष्य छोड़े बैठे हैं अगर वह कुरीतियों में फंसते चले

गये तो देश का क्या होगा । माननीय सदस्यों ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको मैंने आज तक नहीं सुना था न ही मैं जानता था, इन सब से हम नयी पीढ़ी को बचा पाएं, रोक पाएं, इसके लिए हमें परिवारों में, समाज में, धार्मिक संगठनों में, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेना पड़ेगा । खाली कानून और सरकार अकेले इन अपराधों को रोक सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास कम है । मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से कहूंगा कि अपने कर्मचारियों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर एक हवा फैलाएं समाज में अगर कोई गलत बात हो रही है किसी तरह से अश्लील साहित्य का प्रचार हो रहा है, नशे को बढ़ाने वाला काम हो रहा हो तो चाहे आपके सिनेमाघर हों, रेडियो स्टेशन हो इन सब से अच्छी बातों का प्रचार आप करें तब मैं समझता हूं कि इस विधेयक का अर्थ साकार होगा वरन् कानून बना देने से आप सफल नहीं होंगे । कानून जरूरी है मैं जानता हूं, दण्ड भी जरूरी है लेकिन दण्ड और कानून का पालन करने वाले समाज की शक्ति सरकारी कर्मचारियों की शक्ति और सहयोग साथ होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Madam Vice-Chairperson, the Bill which has been brought before the House, though it is a welcome measure, is a bad piece of legislation. There are a number of defects which will come in the way of implementation and which will be challenged in the courts of law as defective legislation giving confusing powers to Government in many of its provisions. No doubt, this menace is very grave. It was 3.6 per cent in 1979. It has gone up to 12 per cent in 1983 in metropolitan cities.

Among the university boys, this drug addiction has increased to a very large extent in my opinion because there is a feeling that education has become useless. There is also a feeling that there is frustration in life. And the life has become a misery for them. Due to unemployment and other problems they feel that they have no other way but to take to drug addiction. It is not merely out of any curiosity that the boys are taking to drug addiction but it is also due to the failure of our social system and also our failure in providing alternative useful channels to the energies of the student community and the youth. Unfortunately, in our country, sports and healthy recreation facilities are very meagre. Therefore, this menace has a very large impact on the youth of our country. Not only that. There is an erosion in the moral values. Political life is seen by the people as the centre of corruption. And no administration is working without corruption. And dedicated and sincere and honest Government servants have become a rarity. Therefore, unless we re-establish the moral values, we cannot save the system. We have given up the Gandhian path. We have also given up prohibition. And now you will find liquor centres everywhere with large number of youths taking liquor during day time and during college hours and school hours.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: This Bill is about drugs.

SHRI S. W. DHABE: This Bill which has been brought has really got a very laudable motive. But, cultivation, production and illicit drug trade in narcotics has increased to a very large extent. And it is increasing very fast. And we are encircled by those countries who are in this trade. They have also opened their centres. When I went through the provisions of this Bill, I was surprised to find that this sort of Bill has been brought forward without any serious application of mind. Therefore, I support what my friend, Mr. Ramakrishnan, has said that this should have been referred to a Select 1 Committee. This is one Bill which is very important in its application and in its impact on our society. But I this has been drafted in such a way

[Shri S. W. Dhabe]

that it will have a little impact in its enforcement I will only deal with some provisions of the Bill and show how it will be ineffective. For example, take sub-clause (3) of Clause (1) of the Bill. It is not that the Bill is going to come into force immediately as the Members think. It shall came into force on such date as the Central Government may appoint. And different dates may be appointed for different provisions and for different States. For the first time I am finding this provision of different States. We have got the provisions of the Industrial Disputes Act where different provisions are brought on different dates. For the first time we have added a new category of 'different States' in this Bill.

I will now come to Clause (4) dealing with authorities. This sub-clause (3) of Clause 4 is such an omnipotent delegation of power that it is unknown in our legislative history. Sub-clause (3) of Clause 4 reads: "The Central Government may if it considers it necessary or expedient so to do for the purpose of this Act, by order, published in the Official Gazette, constitute an authority or a hierachy of authorities by such name or names as may be specified in the order for the purpose of exercising such of the powers and functions of the Central Government under this Act..." This is struck down by the Supreme Court and the various High Courts in many judgments because there is no guidelines under which powers are to be exercised and under which the Government will constitute a board or delegate the power. I do not know why the authorities are not mentioned here. Under clause 4(3) this is the first time that I have seen a legislation of this type being made where such powers are given to such a large extent.

Then there is clause 6, which is very funny. Sub-clause (2) of clause 6 says: The Committee shall consist of a Chairman and such other members, not exceeding twenty, as may be appointed by the Central Government. What a blanket power has been taken by the Central Government? Who will be the members, no (guidelines are given. It is not said whether experts will be there or not, or even Members of Parliament or local M.L.As or representatives from the drug industry will be there or not, nothing has been said on that. The only thing that has been said is that the Government will have the power to decide it.

Madam, 1 do not want to deal with all the provisions of the Act. In clause 27 the definition of small quantity' has been given. The provision is such that a man can escape punishment in law. It has been stated in clause 27(a) that where the narcotic drug or psychotropic substance possessed or consumed is cocaine, morphine or any other narco'ic drug as may be specified in this behalf by the Central Government, by notification in the Official Gazette etc. Sudi a provision will lead to corruption. Hon. Minister, I know that you stand for integrity and clearing of public life. But the question is why should such a blanket power be taken by the Government under clause 27 even as to specify what will be the small quantity? Then I would like to know whether it will be different from place to place, and from State to State. What is the criteria, I would like to know when you give a reply to the debate. You will see that in the Explanation it has been stated that for the purposes of this section 'small quantity' means such quantity as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Then, you will see that in clause 71, where the objective is education-giving, the role of the Central Government should be obligatory, but it hag been made discretionary. It will thus be seen that the idea is not to implement the Act vigorously. So far

as the question of establishing these identification, treatment and rehabilitation centres is concerned why should not the Government take the responsibility and have these centres? Clause 71 is a very important clause in this Bill but it has been diluted by making it discretionary.

Then I come to clause 83 of the Bill. It says: If any difficulty arises in giving effect t° the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions if thin Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Such a provision we could find only in the Constitution where the president was given the powers to remove the difficulties. But what are the difficulties? This shows that the Central Government has taken for itself arbitrary powers for legislation and further that the provisions of this Bill arc ambiguous and the Government is not sure what the effect of the provisions of this Bill will be.

I agree that the object of this Bill is very laudable but it should have been referred to a Select Committee and the Select Committee should have been directed to give a report early. I am surprised, Madam, that a Bill like the Lokpal Bill has been referred to the Select Committee. This Bill was referred to the Select Committee thrice from 1968 onwards. All these reports are well-known. The House was in fact extended by one day for passing the Lokpal Bill. There is nothing in the Lokpal Bill now which is not discussed either here or outside. In 1977, we considered the question whether the Prime Minister should be included or not. Under these circumstances there was no need to refer the Lokpal Bill to the Select Committee. It has, in fact, been done for the ulterior purpose of Punjab elections. The Bill which we are discussing today is a very important Bill. I would request the hon. Minister to seriously consider the question of referring this Bill to a Select Committee so that proper provisions are made. Thank you.

SHRI MAHENDRA PRASAD (Bihar): Madam, non-alcoholic persons meekly, and with complex, bleat themselves as teetotallers, I am one of those unfortunates who, never in their life, have touched tea, cigarettes, betel and alcohol, much less narcotics and psychotropic substance For such an in experienced tiny person, to speak on this subject is a tall task. 1 hope the House bears with the scantiness of my knowledge on this subject.

The grave of history nurtures countless stories of numberless kings and queens, their heirs, commanders, warriors, nobles, high personages, elite of the society and chieftains being drugged to death, or being drunk to defeat by their adversaries or many times by their ambitious subordinates and sometimes even by their own kith and kin. Aurangzeb used to stealthily manage poppy-drinks service to his great and illustrious father to make him dull and to blunt his sensitivity.

The story of use or miguse of drug is not new. It scatters and spans over thousands of years. As early as the Sumerians, an ancient Babylonian people, almost over 6,000 years ago, used to call opium as the 'plant of joy'. Its use is very old story, almost as old as human agony and the search for redressal "of human physical grievances. The highly unbalancing large-scale tragic and frightful misuse has been a comparatively recent story.

Today, because of drugging and drug-addiction, human race faces greater dangers to its civilised and rational existence than from the Hiroshima incident of the Second World War. Brain is the centre of every activity of our physiology. It

[Shvi Mahndra Prasad]

receives informations through various agents called receptors, in medical terminology, constituted of sensitive cells. It thinks, takes decisions and passes orders to be carried out by various limbs of our body. Receptors are very important parts of our cerebral functioning. They are the life of our brain and body. Permanent stoppage of its functioning means death. Temporary stoppage of its working is malfunctioning. It is a disease and danger to life. Drugging puts obstacles in its functioning. The receptors of the brain of a drugged person stop giving information to the brain about the state of the body which, in turn, means stoppage of decision and subsequent order by the brain, which, as a final consequence, means stoppage of the functioning of the body. Such state is dangerous. It is an invitation to calamity and end to cerebral functioning of the body. It is death, immediate or slow.

Drugging gives false relief from an uncomfortable situation. Drugging gives us lie; it produces falsehood, it creates mirage and it is a total deception. It is a source of several diseases. It specially affects functioning of the lungs and respiratory system It causes shallow breathing, lesser supply of oxygen to lungs, causing impurity of blood, affecting functioning of the heart. The total consequence of all the complications is physical disaster. It causes hereditary diseases. The children of drug addict persons are born diseased and invalid. It affects future generation. Drug Is a danger to the society. It will finish orderly and civilised development of our being. We must take every possible and stringent action to combat, stop and eradicate the greatest evil of our world society

If we slice out the communist part of the world, drug-addiction, abuses and trafficking have become *a world* phenomena. It is a menace from which the advanced and affuent countries are suffering the most. With the Americans, it is the problem number one. The condition in the U.S.A. is really pathetic. The Government and the responsible citizens of the U.S.A. consider drug menace a much greater threat to their people and their national security than the- war threat from the USSR. The US.A. faces automatic destruction of their manpower through misuse of drug. The damage and destruction that could have been done by war is being done by ruinous use of drug's

It is not only killing their manpower and vitiating their society, which is on a very large scale, but it is also a great drainage on Lheir finances. The drainage on drug account is a staggering amount, to the tune of 25 billion dollars and according to some, it is as much as 55 billion dollars This is an amount equal to nearly several of our initial FiVe-Year Plans. According to some experts and specialists on world state-gy, on war and ideologies, the drug menace in the U.S.A. and other Western European countries is a planned abetment by the communist bloc. According to them, it is a very well planned strategy of the communist bloc to drug the people of this country, to weaken them to imputency over a period of time and subsequently run them down. The communist bloc encourages through various agencies and media, the use of drugs and narcotics by the people of this country, they say. What is not possible through the weapons of war is possible through the weapon of drugs. My own feeling is that if the US.A. and other developed countries are able to hold the fort and stop the further expansion of communism in the world for the next twenty years or so, there will be automatic self-demo-cratisation and de-communisation in the socialist countries led by the U.S.S.R. But if, in the next fifteen or twenty years, the U.S.A. falls a prey, losses its strength, because of

some reason or the other, like the one of drug misuse in their society i feriority in war becasue of some new development in warfare in favour of the U.S.S.R., the picture may ge to reverse gear. My assumption is based on studied calculation and assumption which I do not want to lUscuss here for fear of digression. Drugs and drug addiction hold a very important key for the U.S.A. and J other democratic countries. It will be no wonder if it becomes a deciding factor in the battle towards ideologic

Madam. India is also threatned with the durg menace, although the suffering and contamination of our society by drags is not on the same scale as in the U.S.A. and other Western European countries. Diligent students of the media must have noticed reports of drug peddling around our universities. Anti-social elements have been active in spreading drug amongst our impressionable your's minds. Students who have taken to drugs are certainly not likely to make useful citizens. There are drop-outs who sometimes take to crimes and other dangerous activities. This is a waste of scarce human esources from the point of view of th<i nation. Students are the citizens of our country tomorrow. If their potential is compromised, the quality of the nation deteriorates. Students apart, our rural population is threatened no less. Improved communications have brought our cities and villages closer. Improved economic condition of the middle ciass may induce them to drug abuse. On the Pakistan border, this may mean unholy ties with foreigners which may give a fillip to anti-national activities and even terrorist menace.

Madam, we cannot afford, even for a moment, the luxury of oblivion of our responsibility in case of drug abuse, towards our people, towards scarce resources. If we have to survive as a nation, as a people, we cannot waste our resources and allow them to go down the drain Drug addiction of our people will throw our nation into the gutter. It will enslave us once again. It will ruin the fibre of our nation which has been built brick by brick after so much of sacrifice by our people, by Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and other leaders. Indulgence in drugs is like suicide and inducing others to drug addiction is no less than murder. Both cause death. Causing death to others and to oneself is punishable by death. That is why, I would suggest, maximum penalty should be imposed so as to act as a deterrent, to save the nation and our people from sure and permanent disaster.

A special matter of interest to India is what happened in China. There was a time when almost the whole population in China was known all over the world as opium-addicted. Today China has completely eradicated herself from the devouring jaws of the horror of opium consumption by their people. They are marching ahead with fantastic speed towards progress and growth. If they succeed in their planning of having only seventeen crores additional heads of people to their population and four times economic development of their present economic position by the end of this century, our position in the world comity will suffer a pathetic setback. Our honour and prestige in. the world is determined by the achievement, success or failure of China in comparison with ours. As a neighbour and with our hostility with them, we are always weighed against China in the world forums and public opinion. The determined way China is going in execution of their above-said planning, there is no doubt about their success. " Let us awake and arise and do away with all the impediments that come our way on our march to success of our nation. Let drugging and drug abuse not come in the way of our country's success.

The present Bill seeks to introduce a meaningful coordination, wi-

[Shri Mahendra Prasad]

den the scope of its clauses to cover the varieties of drugs with effective punishment for the drug peddlars and drug-abusers. The Bill seeks to check the downhill fall of our citizens. This legislation is intended to supplement and safeguard the determined march of our Nation towards peace and prosperity and a future planned to match the best aspirations of the more affluent nations. The Bill is compact, exhaustive, all pervading, all penetrating, timely and its provisions opportune and the implementation machinery faultless. It is also an indication of the determination of the Government and the Prime Minister to cleanse our national and public life of all evils and dirt. We used to hear Shri Rajiv Gandhi and his zeal for drive against uncleanliness before 1985, we see him in action in 1985. The anti-defection law, the Lokpal Bill and now this Bill under the consideration of this august House are mornings of the day; it is proof beyond doubt. Madam, I whole hear-tedly support the Bill.

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदया, आज जो विधेयक हमारे सामने है, उसका उद्देश्य मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना और उनके व्यापारियों को सख्त से सख्त सजा देना है। यदि इस विधेयक में सजाएं अधिक भी होतीं तो भी सब इसका समर्थन करते क्योंकि सारा सदन इसका समर्थन कर रहा है।

महोदया, नशीली वस्तुओं के कारण उसके व्यापारियों ने हमारे देश को बदनाम किया है। कुछ वर्ष पहले सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हिप्पी लोग भारतवर्ष में आ गए। जैसे भंवरा फूलों पर मधु को पीने के लिए आते हैं, इसी तरह से वे आ रहे थे। उनके अड्डे यहां-वहां बने। नशीली वस्तुएं उनको आसानी से उपलब्ध होती थीं। हमने देखा कि हिप्पी नशे में चूर नंगे वहां पड़े रहते थे जिसका प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ा और वह भी, नीम हिप्पी बन गए और आज वे दो-दो तीन-तीन घंटे नशे में डूबे रहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी का इस वक्त ह्रास हो रहा है।

महोदया, ये व्यापारी पहले जहां राष्ट्रीय स्तर पर थे, वहां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गए हैं। हर मुल्क में हशीश और हीरोइन के व्यापारी घूमते रहते हैं। जब्ती होती रहती है, फिर भी उनका व्यापार बढ़ता रहता है। कई नाम लिए गए हैं नशीली चीजों के। उनमें एक नशीली चीज है चंडू। यह सब का सरदार है। समझा जाए कि वह सब का राजा है। यह क्या है कि शराब या भांग या अफीम या हशीश ये तो चलते फिरते खा लेते हैं। चन्डू का एक कमरे में उपयोग होता है। 400 P M जिस कमरे में इसका उपयोग होता है उसको कहते हैं चन्डूखाना। एक छोटा सा घड़ा खुल जाता है उसके बीच में नशीली वस्तुएं हैं। उसको खोल-कर उससे आग जलाई जाती है और उसके धुएं से वह कश पीते हैं। उसको जो पीता है वह नशे में चूर हो जाता है। चार-पांच घंटे तक मृत की तरह पड़ा रहता है। शराब के नशे की बात और है लेकिन चंडू का जो नशा करता है उसका जिस्म सूखता जाता है। उसका बदन पीला पड़ता जाता है। कुछ ही सालों में उसकी मौत हो जाती है बावजूद इसके कि उसे पता है कि वह नशे में चूर हो जाता है और समझता है कि मृत्यु हो जाएगी। यह जो विधेयक लाए हैं इसमें आपने कुछ प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया है। हो सकता है इससे आप इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा सकें। और मैं यह चाहता हूं कि जो इनकी सजाएं हैं उनको ज्यादा कर दें लेकिन जो आपने किया है वह सराहनीय है।

मैं एक दो सजेशन देना चाहता हूं। वह यह है कि अफीम पर एक एक्ट के तहत प्रतिबन्ध है। अफीम में और बाकी नशीली वस्तुओं में बहुत फर्क है। अफीम जो है इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। जो वैद्य लोग हैं उनको कुछ सुविधा है लेने की। कुछ दवाओं के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं मंत्री

महोदय मे कहूंगा कि उनके लिए आप कुछ आसान कर दें ताकि वैद्यों को अफीम लेने में कोई तकलीफ न उठानी पड़े। एक सजेशन मेरा और है। हमारे जम्मू में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है डोडा। वहां पुराने जमाने में, जब अफीम पर रिस्ट्रीक्शन नहीं था तो अफीम का कल्टीवेशन बहुत होता था। ओपियम पोपी की एक डोडी होती है उसके अन्दर से खसखास निकलती है। उसके ऊपर एक छिलका होता है उसको तराश कर पानी निकाला जाता है उससे अफीम बनती है और जो भांग होता है उसको हाथ से मसल कर जो पानी निकलता है उसको सुखा कर चरस बनती है। लेकिन जो पोपी है उसके अन्दर खसखास निकलती है जो कि नारकोटिक नहीं है, उसमें न्यूट्रीशन है। इस पर प्रतिबन्ध लगने से खसखास मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है, बहुत कीमती भी हो गया है। यदि इन डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन दुबारा से हो जाए तो यह आसानी से मिल सकेगा। वहां की जो जलवायु है, क्लाइमेट है वह पोपी के कल्टीवेशन के बहुत उपयुक्त है। आप सरकारी तौर पर वहां कल्टीवेशन कराएं। जैसाकि कई शहरों में सरकार की देखरेख में अफीम बनाई जा रही है क्योंकि इससे फोरन एक्सचेंज मिलता है उसी तरह से हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट में भी सरकार की देखरेख में इसका एक फार्म बनाया जाए। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि अगर यह विधेयक ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी को दिया जाता तो अच्छा रहता। आखिर में एक शब्द कहूंगा कि जो नशा करते हैं उनकी सूझ कितनी दूर तक होती है इसके बारे में एक संस्कृत के शायर ने कहा है :

"पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा
पाष्टत् पतित भूमिदः।"

इतना पीते जाइये कि आप जमीन पर गिर जाएं। एक उर्दू के शायर ने कहा है :

"किस की रहेगी और
किस की रह जायेगी
बंदे मर जायेंगे,
हिस्की रह जायेगी।"

यानी तमाम आदमी मर जायेंगे परन्तु हिस्की रह जायेगी।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया (राजस्थान) : महोदया, यह विधेयक आया है इसका मैं स्वागत करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां और लड़के एक साथ नशा करते हैं। मैं ऐसा समझती हूं यह हमारे भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता। यह बहुत बुरा रिवाज है। महोदया, दूसरी बात यह है, कि इन नशीली चीजों में जो एक दूसरी वस्तु है वह तम्बाकू है। तम्बाकू का देहातों में इतना अधिक चलन है कि पहले तो इसका लोग हुक्के में इस्तेमाल करते थे, उसका धूआं लेते थे और उस धुएं से कोई खास असर भी नहीं होता था, लेकिन अब उस तम्बाकू को मुंह में रख लेते हैं। तम्बाकू मुंह के अन्दर लेने से बहुत से लोगों को कैंसर हो गया है। बहुत से लोग अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे हैं। यह नशीली चीज बहुत खतरनाक है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने जगह-जगह पर शराब के ठेके खोल दिये हैं और इनकी संख्या बहुत हो गई है। देहातों में भी ये ठेके पहुंच गये है। आज सबसे बड़ी बात यह हो गई है। कि जितने भी वाहन चलते हैं उनके ड्राइवर शराब पीकर चलते हैं। इससे बहुत से एक्सीडेन्ट्स होते हैं जिससे बेचारे यात्री मारे जाते है। बहुत सी जगहों पर डैथ्स हुई हैं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि शराब के ठेकेदारों का रवैया बहुत ही खराब होता है। जो सड़ा से सड़ा गड्ढा होगा, जिसको हमारे यहां पोखर कहते है उसका पानी शराब में मिला दिया जाता है। शराब में आधा यह गंदा पानी होता है और आधी शराब होती है। इससे तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इन बातों की तरफ दिलाऊंगी कि हो सकता है कि इससे आपको कुछ थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती होगी, लेकिन अगर आप इसकी चेकिंग ठीक प्रकार से करें तो ठीक रहेगा।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चहती हूं कि हमारे देहातों में जो मजदूर होते हैं उनको 5 रु० या 7 रु० या 9 रु० रोज मिलते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो उनके बच्चे समझते हैं कि उनका पिता पैसे लाएगा तो वे कुछ खा सकेंगे। लेकिन होता यह है कि वह पैसा शराब के ठेकों पर चला जाता है। इसलिए अगर इन नशीली चीजों को बन्द किया जाय तो देश की उन्नति हो सकती है। शहरों में जहां पर लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं वहां पर तो इससे नुकसान होता ही है, देहातों में इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों की शराब खा जाती है। मैं तो महिला हूं। मैं जानती हूं कि महिलाओं के साथ शराब पीकर जब उनका मालिक आता है तो क्या-क्या करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी-अभी महिलाओं को जान से भी मार दिया जाता है। घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शादी-ब्याह में जो कपड़े मिलते हैं उसको बेच दिया जाता है और जो उनके पास जेवर होता है उसको भी बेच दिया जाता है। मैं सरकार का ध्यान इन बातों की तरफ दिलाना चाहती थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे-अच्छे कानून बना रहे हैं। यह वे बहुत अच्छा विधेयक सदन में लाए हैं। मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि शराब बहुत खराब चीज है। इसको आप ठीक करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Madam, Vice-Chairman, I rise to support this Bill. A few legislations on narcotics and psychotropic drugs have been enacted in the 19th century. The Opium Act was introduced in 1857 and this Act was revised in 1878 to cope with the narcotic drug situation. Government had enacted another legislation, the Dangerous Drugs Act of 1930, In order to deal with the psychotropic substances and narcotics, the present Bill has been placed before this August House. I welcome this Bill because this will control the misuse of various psychotropic drugs like can-I nabinol and its derivatives prepared from Cannabis Sativa and also cocaine, another psychotropic drug which is obtained from Erythroxylon Coca and is used generally by the labour class in order to get rid of fatigue and exhaustion after day's labour. The opium poppy contains more than two dozens of toxic alkaloids some of which I am stating here morphine. codema, thebaine and narcotine etc. This opium poppy is being cultivated on a large scale. Heroin is a transformation product of an opium alkaloid and is an euphoric-drug. The narcofic and psychotropic drugs are being misused, and the younger generation particularly in recent years is becoming addicted to these intoxicant chemical substances. These compounds have harmful effects not only on mind but also on the central nervous system, affecting the brain, and thereby causing a dangerous effect on the biological systems. The Government had not paid much attention earlier to the international conventions relating to these narcotic drugs. We are happy that the Government could realise the demerits of these compounds and their harmful effects and that it has brought this Bill to stop the increase of the drug abuse. Unfortunately, the menace of opium, hashish and *ganja* etc. has i been really acute in recent years. The | drugs addict has been observed now-a-days very frequently amongst the ! students community. It has also infiltrated in all the strata of the so- ciety. The drug addiction and the drug menace have been observed amongst doctors and pharmacologists also though they are fully aware of the dangerous affects of these chemi- cals. I might mention in this context that many doctors has committed suicide by injecting intravenously ! morphine in their own systems.

By legislation only it would not be ! possible to stop the menace. The import of these compounds from other countries like Pakistan, Egypt, Nepal, Iran etc. is to be controlled. In places

where opium poppy and Cannabis are being cultivated, precautionary measures should be provided so that the opium plants and Cannabis Sativa etc. may not be at the hands of those who will get involved in the drug-racketing business. It has been reported that 2,058 kg. of codeine was consumed in 1966. This amount was found to be increased to 10,350 kg. in 1983. In 1954, 264 kg. of morphine was consumed. This figure went up to 2,202 kg. in 1982. In 1957 the heroin consumption was 187 kg. In 1982 it increased to 6,153 kg. In 1947 the total cocaine consumption was 841 kg., and in 1982 it went up to 12,092 kg. However, we are aware, perhaps, that the seeds of "opium poppy, which are available in the market, which the people consume, are denatured, so that the seeds may not germinate to opium poppy plants producing the narcotic drugs. The Government had taken this measure long time ago. But further measures are yet to be taken. However, as I have already mentioned, starting from plantation to harvesting, processing, sale and export, strict measures are to be taken to avoid the drug abuses. The children are being given the narcotics in ice-creams and small lemon drops and toffees. This Bill which haa been brought forward proposes punishment for the offenders, hut the punishment proposed in the Bill is not deterrent. I feel heavy deterrent punishment should be imposed on those persons who misuse these intoxicant drugs and are involved in drug racketing business.

Madam, I suggest that the offences under this Act ghoujd be not only imprisonment but if necessary more stringent measures should be taken.

On page 8 of the Bill under clause 9(2) th$_e$ various powers to give permit etc. are given. I think greater caution must be exercised in issuing of the permits or licences, because anti-social people also practise this drug business and they are at connivance with the cultivators also. The Government should lake all possible measures against thase anti-social ele ments,

Further in clause 27 on page 15, it ig mentioned that whoever possesses these drugs in a sanau quantity will be punishable. Now, I would like to know, what is meant by 'a small quantity'? Is it 1 mg or 500 mg or 1 g? I feel a clean statemenc of 'a small quantity' need$_s$ to be specifically mentioned. Otherwise, it has no meaning.

Madam, with these few words, I would like to conclude and I thank you most sincerely for giving me this opportunity,

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRI MATI) SAROJINI MAHISHI]: Now Honourable Minister will reply.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Madam, I am grateful to the *hon.* Members for their valuable contributions. In the beginning it has been stated that the hon. Members would not be in $_a$ position to contribute their valuable suggestions. But now I found in all 15 hon. Members have participated in the debate and 1 am bold enough to say that the quality of the debate is of a high order. I would like to inform the hon. Members that their suggestions would be kept in mind at the tim$_e$ of framing rules. Madam, Members from both sides have given a graphic account of the plight of people who have become the addicts. Some hon. Members have brought to the notice of the Government that *the* children in schools have been administered with these drugs in ice-cream, tea, coffee, etc. It has been brought to the notice ol the Government not only in Parliament but also outside that the students studying in colleges and universities have fallen prey to this menace, in some cases the young girls are being administered with these drugs for the purpose of raping, molestation, etc. It is really a shocking news to the nation. Our youths are falling prey to this menace by inducement. Some of the anti-social elements who want to popularise this

[Shri Janardhan Poojari]

illicit drug trafficking are giving these drugs by inducement and making them drug addicts. There are such innocent people in the country. Now we have to check this evil. We can not allow the moral fibre of the life of the country to be weakened and we cannot allow the qua ity of the life of our youth to be shattered in this way by some smugglers and some criminals in the country. How to check it? I am fully in agreement with the hon'ble members when they say that We should have the political will, we should have the political determi nation. The hon'ble members have submitted, in their statement, I read it, and according to them, we should come forward. Immediate action should be taken. The need is immi nent and it is urgent and we should come forward with the legislation. Madam , d, not only side the Parliament but outside the Parliament, the need for the enactment of a comprehensive legislation. There a calling attention on 7-8-on the floor of Lok Sabha from the members. They appealed to the Government to have a comprehensive legislation. They pressurised me to bring it in this current Session. Yes, I gave an assurance to the Parliament that it would be brought in this current Session only and this is in fulfilment of that assurance that has been given to the nation through the Parliament.

Madam, here, I fully agree that the some of the hon'ble members. I really was eager to hear Shri Nirmal Chatterjee. I him. He always valuable suggestions. Unfortunately, today, I am not in a position to take it but I hope, even when, there are any suggestions to be given by him, definitely, it will be considered. He can talk to me. He can write to me. At the same time, I cannot go without saying that there is an urgent need for which, you the hon'ble members of this House extended your co-operation. I should thank you all from the bottom of my heart. I heard you with rapt attention. The able and graphic account that you have given and in fact, the suggestion to the effect that the legislation, is not sufficient, it is not the only way to curb this, to stop this evil, I fully agree with the hon'ble members. Implementation ahould be effective. There should be the implementing machinery which should rise to the expectation of not only the hon'ble members of the Parliament but also to the expectation of the people of this country. What we have been doing? I am sorry to say let us not belittle ourselves. Some of the hon'ble members have stated that there is interference from the Parliament members. No. It is not true. From the Parliament members, I have not come across any interference. I have been dealing with the COFE-POSA Act. Whenever such case comes, immediately, that is gone through and without any time lapse, the file is disposed of. For the information of the House, not a single Parliament member or member of any Legislature interfered with it. We have not, so far as I am concerned, I can tell you we have not evoked any order. This is the position. All the people are cooperative. The intention of the legislators, even the parliamentarians is to check, to stop this evil. Let us move forward. What action we have been taking. We have been also taking action. We have taken action. Last year, under COFE-POSA Act, we have put 112 persons behind the bars. Detention orders have been issued and these people have been detained. Last year, in 1984, 1,248 people were arrested and prosecuted. In 1983, 1,761 people were arrested and prosecuted. Action should be taken. It is true that we should be effective, for which the cooperation of the State Governments is also required. I was moved when the hon. Members in this House made an appeal that the enforcement machinery should be strengthened. Yes, we have to do that. And what steps have we taken to prevent drug trafficking? Madam, we have intensified the preventive drive. Not only that, as the

hon. Members know, we have modernised the enforcement machinery. Computerisation is introduced to check smugglers and even a dog cell has been introduced in Delhi and Bombay airports to detect offences. Madam, in fact, effective coordination should be there. That coordination ig also coming forward. We are working on that, not only internationallv but also in the domestice field. Coordination and cooperation with these cells that-have been set up is done.

Now coming to some of the points which were raised by hon. Members, a point was made that deterrent punishment should be given. I fully agree with you. Here so far as deterrent punishment is concerned, some of the hon. Members demanded life imprisonment. But here the punishment is more deterrent—minimum 10 years going up to 20 years. Our former Chief Justice is not here, but when life imprisonment is given, generally it is presumed that it is for 20 years but it is actu for 200 years but it is actually for 14 years. And when remission is there, it comes to 10 years. But here the minimum punishment is 10 years and the maximum is 20 years-For a second offence, the punishment would be a minimum of 15 years and a maximum of 30 years. That will be more than life imprisonment.

So far as the fine is concerned, I can say that there is a 'misreading of the section. If you kindly go through the clause, there fe a proviso. There is provision that Rs. 1 lakh is the minimum fine and the maximum *is* Rs. 2 lakhs. But for special reasons to be recorded, it could be even Rs. 1 crore or even Rs. 2 crores. There the judge bas to record the reasons. Hon. Members made a point that some big smugglers, pome rich people are also involved in this and they can afford to pay the fine. Under such circumstances, the judge has got the discretion and the fine can go up to even Rs. 1 crore or even Rs. 2 crores; he has simply to record the reasons. It is done always. So the punishment is deterrent.

Some hon. Members, particularly Dhabeji, have said that We have mentioned "small quantity" and they have asked why it has been done. Madam, you know, some people are addicts and in some cases, even small children—school-going girl-student or boy-student—carry small quantities. Here the possession of even the smallest quantity is an offence and the minimum sentence for it will be ten year rigorous imprisonment. But an exception is made. For example, if *j* am an addict and if I am having a small quantity, the burden is on me to prove that I am in possession of that small quantity for my consumption. It is for my consumption and that is why I have come to be in possession of that. Otherwise, any person who is in possession of even the smaVeat cmanttty will ba subject to the minimum punishment of 10 years rigorous imprisonment. This is the position. Shri Dhabe asked why we should have Clause 83(1) when such provision is not there in any other enactment, why such special treatment Is made here. I may tell him it is there in a number of cases. I know it is there in Article 382 of the Constitution. The honourable Member spoke about the relevance of, Clause 71 and talked of some deficiencies there, I may tell him that the purpose of Clause 71 is to start some health centres for treatment of these addicts. As the honourable Member himself, said, it is a very laudable objective it is not only the punitive and preventive .measure that is going lr help, it is the responsibility of the Government, as honourable Members have stated, to de-addict there people and to give them proper treatment in hospita's It is for that pumose Clause 71 is included. The centres would be started not only by the Central Government but also by State Governments. Then, some other provisions have also been touched upon by some honourable Members, i can assure the honourable Members that the Government ig seized of the matter, that the Government is very serious. It is the duty of the Government to take note of these things.

[Shri Janardhan Poojari]

And when rules and guidelines are framed, they will be placed before Parliament. The State Governments will also frame rules but they need come time and as and when they frame rules, they will place the same before the respective State Legisla tures,

Shri HUkmdeo Narayan Yadav spoke about officers, that some of them during the discharge of their duties lose their lives, while facing the smugglers. We have brought a scheme for such contingencies also. There is the Customs Welfare Fund for the. families of the officers who die in the discharge of their duties or for the officers who get injured in apprehending the smugglers. Then, j apart from pension and other usual benefits, an ex-gratia payment of Rs. 50.000 is also made. After the scheme there will foe more measures that would go a long way in encouraging their initiative, stimulating their ability and their couraee. to combat this evil. The Government has airea raised the quantum of award for the informant. The award has been enhanced from 10 per cent to 20 per cent. And so far as the Customs Welfare Fund is concerned, l per cent of the total seizure under smuggling activities will go to the Welfare Fund. The amount seized last year under smuggling activities was about Rs. 101 | crores. This year within a short span of 6-1/2 months we have already crossed the figure of Rs. 110 crores. The Government is very keen on combating this evil. That is why I | am requesting the honourable Member, who is here now and who moved a motion for referring the Bill to a Select Committee, to withdraw it.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: I am here.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Madam. I would request him to withdraw it. Let us move very fast; let us move on a war-footing to comfoat this evil.

With these words, Madam, I would like to conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, Mr. Ramakrishnan, you want to withdraw it?

SHRI R. RAMAKRISHNAN: Madam, in view of the Minister's appeal to me and the fact that he has stated that the Government is taking very strong action and will enforce the provisions of the Bill, I seek the leave of the House through you to withdraw my Motion for reference of the Bill to a Select Commitee.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI!: Is it the pleasure of the House that the mover of the amendment be given leave to withdraw it?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Yes. *The amendment was, by leave, withdrawn,*

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, the question is:

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs, to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narotic drugs and psychotropic substances and fo$_r$ matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 33 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1. the EnacUnq Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JANARDHAN POOJARI: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was Put and the *motion was adopted.*

THE DELEGATED LEGISLATION PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE IN , THE MINISTRY OP LAW AND JUS- TICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): Madam Vice-Chairman, I beg to move:

> "That the Bill to amend certain Acts to implement the recommendations of the Committees on Subordinate Legislation regarding publication and laying of rules and other delegated legislation and certain other matters, be taken into consideration."

Madam, the honourable Members are aware of the recommendations of the Committees of both Houses on Subordinate Legislation that with regard to the provision providing for delegated legislation. A number of Acts passed by Parliament in the past, which provide for making of rules, regulations and other forms of subordinate legislation, are not in consonance with those recommendations. Either thev do not contain the provision for laying of such rules, regulations or other forms of subordinate legislation before the Houses of Parliament or they do not expressly provide for the publication of the same and yet some provisions are there for laying on lines which are different from the latest on the subject as approved by the Committees on Subordinate Legislation. The Committees have from time to time been deprecating the delav in implementing their recommendations and have been emphasising? that the administrative Ministries concerned "with the different enactments should take necessary steps for implementing the same suitably in conformity with the recommendations. I_n the past, when some Bills for amending individual Acts for implementing the recommendations of the Committee came up for consideration, suggestions were made by the honourable Members that it would be better to bring forward a comprehensive legislation covering various enactments which require similar amendments. A Bill to this effect covering 50 Acts, had already been passed by Parliament in 1983. Another Bill, to cover 69 more Acts, was introduced in 1984 which lapsed on the dissolution of the Seventh Lok Sabha. The Bill which is now before this House is the result of the efforts of our Ministry in this direction.

The Committee on Subordinate Legislation, Seventh Lok Sabha, had recommended that the provision which is at present contained in sub-rule (viii) of rale 39(a) of the Conduct of Election Rules, 1961, should be incorporated in the Act itself.

The sub-rule provides for cancellation of a ballot paper issued to an elector in case he refuses to adopt the procedure prescribed under that rule. The present opportunity is being availed of to include this recommendation also. The Bill, therefore, covers *92* enactments specified in the Schedule to the Bill. Some more enactments remain to be amended on similar lines. The matter has been taken up with the administrative Ministries concerned, and efforts are being made by my Ministry to cover those Acts also as expeditiously as possible in regard to the remaining enactments.

The question teas proposed.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI). SAROJINI MAHISHI]: Shri Dipen Ghosh.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Mr. Dipen Ghosh is not here just now. The Finance Minister